

उत्तराखण्ड सरकार
निर्वाचन विभाग

संख्या- 64 /xxv - 119

/ 2013

दिनांक: देहरादून 12 नवम्बर, 2013

निविदा सूचना

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित माप, मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में द्वि प्रस्ताव निविदा प्रणाली के आधार पर Non Personalized Pre-printed PVC Card की आपूर्ति एवं Printing of elector details on PVC Cards आदि कार्य हेतु फर्मों को सूचीबद्ध किए जाने के लिए दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 को अपराह्न 03.30 बजे तक इच्छुक निविदा-दाताओं से मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उक्त नियत तिथि एवं समय तक निविदाएं स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, उत्तरी ब्लाक, कक्ष संख्या-15, 04-सुभाष रोड़ देहरादून में प्रेषित/प्रस्तुत की जा सकती हैं/ निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है। निविदा फार्म किसी भी कार्यदिवस और कार्यालय समयान्तर्गत दिनांक 29 नवम्बर, 2013 को अपराह्न 05.00 बजे तक उल्लिखित कार्यालय से ₹ 5000.00 (रुपाँच हजार-वैट सहित) के नकद/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो "मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, देहरादून" के पदनाम से तैयार किया गया हो भुगतान पर, प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट <http://ceo.uk.gov.in> से भी प्राप्त की जा सकती है। वेबसाईट से निविदा फार्म डाउनलोड करने पर ₹ 5000.00 (रुपाँच हजार) मात्र की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत किए जाने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

(राधा रतूड़ी)

प्रमुख सचिव एवं

मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

प्रतिलिपि:-

- 1- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को सर्वाधिक प्रचलन के राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में दिनांक 13 नवम्बर, 2013 के प्रकाशन में, न्यूनतम धनराशि के अन्तर्गत प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- 2- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा को तत्काल विभागीय वेबसाईट <http://ceo.uk.gov.in> में अपलोड करवाने का कष्ट करें।



(राधा रतूड़ी)

प्रमुख सचिव एवं

मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

निविदा फार्म संख्या.....


**Procurement of Non Personalized Pre-printed PVC Card and
Printing of elector details on PVC Cards.**

निविदा फार्म का मूल्य : ₹5000.00 (पाँच हजार मात्र)
(वैट सहित) (Non Refundable)

क- निविदा फार्म की बिक्री हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि और समय	29 नवम्बर, 2013 (शुक्रवार) अपरान्ह 05.00 बजे तक
ख- पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि और समय	03 दिसम्बर, 2013 (मंगलवार) अपरान्ह 03.30 बजे तक
ग- निविदा समिति के द्वारा तकनीकी निविदा खोले जाने की अन्तिम तिथि और समय	03 दिसम्बर, 2013 (मंगलवार) अपरान्ह 04.30 बजे

निविदा फार्म क्रय करने एवं निविदा बॉक्स में मुहरबन्द निविदाएं जमा करने का पता:-

कार्यालय:- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
सचिवालय परिसर, उत्तरी ब्लाक, कक्ष संख्या-15
04- सुभाष रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
टेलीफैक्स:- 0135-2713551 / 2713552
Email: ceo_uttaranchal@eci.gov.in




(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

SECTION-A

कार्य क्षेत्र में समाहित कार्य का विवरण

(Scope of Work)

1. उत्तराखण्ड राज्य की समस्त 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लगभग 1400 अवशेष मतदाताओं तथा सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत सम्भावित लगभग 2.5 लाख (दो लाख पच्चास हजार) नये निर्वाचकों (सम्भावित नये निर्वाचकों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है)के PVC Cards में मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित माप, मानक और गुणवत्ता के अनुरूप Pre-printed Non Personalized PVC Cards की आपूर्ति और Printing of elector details on PVC cards का कार्य।
2. उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार कतिपय निर्वाचकों के अनुरोध पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुशरण में नियमानुसार Duplicate EPIC भी तैयार कर निर्गत किये जायेंगे, जिनके लिए तदनुसार Pre-printed Non Personalized PVC Cards की आपूर्ति और Printing of elector details on PVC cards. का कार्य भी किया जाना होगा।

3- Specifications of PVC Card:- The PVC Card should have the following dimension and security printing (as per Sample provide by ECI) :-

(a) Specifications of Pre-printed Non Personalized PVC Cards:

- (i) Size: 8.6cm vertical and 5.4cm horizontal
- (ii) Thickness: 0.7 mm
- (iii) Photo box size: 32 mm vertical and 24 mm Horizontal

(b) Specifications for Security printing

Front:-

- (i) Spiral micro letters line (EPIC) in art screen
- (ii) Three colour guilloche design
- (iii) The National Emblem with guilloche design for invisible printing which can be seen by ultra violet light.
- (iv) The National Emblem printed on the upper left hand corner and Election Commission of India logo printed on the upper right hand corner in colour.

Back:-

- (i) Relief tint of "Election Commission of India" in bilingual i.e. English and Hindi.

Personalization:-

Front:-

- (i) Election Commission of India in English and Hindi on the top.
- (ii) Elector Photo Identity Card in English and Hindi of the below Election Commission of India.

(राधा रानी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

- (iii) Colour photo of the elector. (the size of photograph of will be 3.2cm vertical x 2.4 cm horizontal) and of resolution 320x240 pixel.
- (iv) EPIC number of the elector printed in alphebets and numbers and also as a bar code.
- (v) Name ot the elector, in English and Hindi.
- (vi) Relation name printed in English and Hindi.

Back:-

- (i) Sex printed in English and Hindi.
- (ii) Date of birth/age printed in English.
- (iii) Address printed in English and Hindi.
- (iv) Number and Name of assembly constituency printed in English and Hindi.
- (v) Part no and name in English and Hindi.
- (vi) Scanned signature of Electoral Registration Officer.
- (vii) Note:-

The following notes printed in English and Hindi:-

- (a) Mere possession of Elector Photo Identity Card is no guarantee of name being present in electoral rolls. Please check your name in the current electoral rolls before every election.
- (b) Date of birth mentioned inthis Card shall not be treated as proof of age or date of birth for any purpose other than registration in electoral rolls.

Technology to be used:-


Dye Sublimation card printing

Equipment to be used :-

Double sided Dye Sublimation PVC card Printer with minimum Speed of 125 cards per hour for double side printing in front side Color & back side black in one single pass.

Ribbon to be used:-

YMCKOKO ribbon




(सध्या रतूडी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

SECTION-B

Non Personalized Pre-printed PVC Card की आपूर्ति एवं Printing of elector details on PVC Cards, निविदा-दाताओं के लिए विशेष निर्देश एवं आवश्यक शर्तें:-

1- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में दो प्रस्ताव निविदा प्रणाली के आधार पर **Non Personalized Pre-printed PVC Card** की आपूर्ति एवं **Printing of elector details on PVC Cards**. के कार्य हेतु फर्मों को सूचीबद्ध किए जाने के लिए दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 को अपरान्ह 03.30 बजे तक मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। उक्त नियत तिथि एवं समय तक निविदाएं स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, उत्तरी ब्लॉक, कक्ष संख्या-15, 04-सुभाष रोड़ देहरादून में प्रेषित/प्रस्तुत की जा सकती हैं /निविदा बॉक्स में डाली जा सकती हैं। उल्लिखित अन्तिम तिथि व समय तक प्राप्त निविदाओं की तकनीकी निविदाओं को, उसी दिन अपरान्ह 04.30 बजे निविदा समिति द्वारा, उपस्थित निविदा-दाताओं के सम्मुख खोला जायेगा। उक्त तिथि को अवकाश की दशा में अगले कार्यदिवस को नियत समय पर तकनीकी निविदा खोलने की कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त किसी भी निविदा/निविदाओं को निविदा के रूप में प्राप्त/स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा फार्म दिनांक 29 नवम्बर, 2013 को अपरान्ह 05.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस और कार्यालय समय पर निर्धारित नकद मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है।

2- निविदा-दाता फर्म आदि का व्यापार कर/ आयकर एवं सेवाकर विभाग में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। व्यापार कर/आयकर /सेवाकर विभाग में रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी अभिलेखों की सत्यापित छाया प्रति, जिसमें पैन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति भी हो, उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।

3- निविदा-दाता फर्म आदि का मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी, सन्तोषजनक ढंग से गुणवत्तायुक्त आपूर्ति करने का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

4- मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी एवं आपूर्ति सम्बन्धी विगत तीन वर्षों में (वित्तीय वर्ष-2010-11, 2011-12 एवं 2012-13) प्रत्येक वर्ष में कम से कम 5.00 लाख (पाँच लाख) का टर्न ओवर होना चाहिए। इसी प्रकार फर्म का उल्लिखित वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कम से कम कुल ₹50.00 लाख (पच्चास लाख) का टर्न ओवर होना चाहिए। टर्नओवर से संबंधित सी0ए0 के द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंस शीट की प्रमाणित छाया प्रति भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5- उक्त तीनों वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वित्तीय वर्ष में उल्लिखित कार्य से संबंधित एक समय में कम से कम रूपये 5.00 लाख तक के एकमुश्त कार्यादेश की प्रमाणित छाया प्रति एवं गुणवत्तायुक्त सन्तोषजनक ढंग से कार्य करने के पश्चात भुगतान से संबंधित अभिलेख/अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(राधा रतुंडी)
प्रमुख अधिकारी एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

6- निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म आदि को भारत सरकार/राज्य सरकार से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। फर्म आदि को 10.00 रुपये के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म आदि ब्लेक लिस्टेड नहीं है। शपथ-पत्र नोटरी के समक्ष अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।

7- निविदा-दाता फर्म आदि को आयकर एवं अन्य किसी भी कर जो भी देय हों, का बकायादार/देनदार नहीं होना चाहिए। वित्तीय वर्ष-2011-12 तक के जमा आयकर रिटर्न से संबंधित रसीद/अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

8- निविदा के साथ धरोहर के रूप में ₹15,000.00 (रुपन्द्रह हजार) मात्र की धनराशि प्रति जनपद की दर से बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, बैंक गारण्टी या सावधि जमा रसीद जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, देहरादून (Chief Electoral Officer Uttarakhand Dehradun) के पक्ष में तैयार किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राज्य के सभी 13 जनपदों के लिए निविदा प्रस्तुत करने पर धरोहर के रूप में कुल ₹1.90 लाख (₹ एक लाख नब्बे हजार) मात्र की धनराशि उल्लिखित रीति से जमा कर प्रस्तुत करनी होगी।


9- निर्वाचन कार्यों की तात्कालिकता, महत्ता और समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए निविदा-दाता फर्म आदि का विगत कम से कम तीन वर्षों से उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत पूर्ण रूप से स्थापित कार्यालय एवं कार्यशाला का होना नितान्त आवश्यक होगा। इसी कार्यालय एवं कार्यशाला से फर्म के द्वारा विगत तीन वर्षों तक फोटो पहचान पत्रों/निर्वाचन विभाग अथवा अन्य विभाग/कार्यालयों का समान प्रकृति का कार्य सम्पादित किया गया हो।

10- निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म आदि के पास प्रत्येक दिन कम से कम पाँच हजार PVC Card रंगीन प्रिन्टिंग की क्षमता रखने वाले उच्च गुणवत्ता के तकनीकी प्रिन्टर होने चाहिए।

11- सफल निविदा-दाता को प्रथम चरण में उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय में आवश्यक संख्या में उच्च गुणवत्ता के इण्टरनेट कनेक्शनयुक्त कम्प्यूटर स्थापित करने के साथ-साथ PVC Card प्रिन्टर स्थापित करना होगा। इस प्रकार जनपद मुख्यालय में ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित साफ्टवेयर के माध्यम से EPIC Generate कर निर्देशानुसार PVC Card प्रिन्टर से प्रिन्ट कर उपलब्ध कराने अनिवार्य होंगे।

12- सफल निविदा-दाता को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित माप, गुणवत्ता के अनुरूप ही आवश्यकतानुसार Non Personalized Pre-printed PVC Card की व्यवस्था भी स्वयं करनी होगी। गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोई कमी या न्यूनता को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा।

13- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्तमान में 01 जनवरी, 2014 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य गतिमान है और दिनांक 18 नवम्बर, 2013 तक प्राप्त दावे आपत्तियों का संबंधित ERO के द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2013 तक निस्तारण के पश्चात दिनांक 01 दिसम्बर, 2013 से डाटा




(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

इण्ट्री का कार्य प्रारम्भ होगा। डाटा इण्ट्री का कार्य जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा किया जायेगा किन्तु फोटो स्कैन और तदनुसार निर्धारित साफ्टवेयर में फोटो **Attach** और **Merge** का कार्य सफल निविदा-दाता के द्वारा ही सम्पन्न किया जायेगा।

14.1- उपरोक्त प्रस्तर-13 के अनुसार जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा डाटा इण्ट्री के फलस्वरूप सफल निविदा-दाता द्वारा **फोटो स्कैन** और तदनुसार निर्धारित साफ्टवेयर में फोटो **Attach** और **Merge** का कार्य करने के पश्चात ही निर्धारित साफ्टवेयर के माध्यम से PVC Card प्रिन्टर से Personalized PVC EPIC प्रिन्ट करने होंगे। अर्थात् डाटा इण्ट्री का कार्य एवं फोटो स्कैन, फोटो **Attach** और **Merge** तथा Personalized PVC EPIC प्रिन्ट का कार्य निरन्तर साथ-साथ (Simultaneously) चलेगा। उपरोक्त कार्य के समय पर सफल सम्पादन के लिए प्रत्येक जनपद में कम्प्यूटर, PVC Card प्रिन्टर के साथ-साथ आवश्यक संख्या में कम्प्यूटर दक्ष एवं सॉफ्टवेयर की जानकारी रखने वाले कार्मिक भी रखने होंगे।

14.2- कार्यपूर्ति आदेश के उपरान्त अधिकतम 05 दिन के अन्दर कार्य प्रारम्भ न करने और अपेक्षानुसार Personalized PVC EPIC उपलब्ध न कराने पर **पाँच हजार प्रति दिन** की दर से Penalty लागू होगी। पाँच दिन से अधिक किन्तु 9 दिन तक के व्यवधान पर Penalty की धनराशि दस हजार प्रतिदिन होगी। कार्य में असमर्थ पाये जाने पर संबंधित सफल निविदा-दाता की जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी जो Penalty की धनराशि के अतिरिक्त होगी।

15- इस प्रकार सफल निविदा-दाता द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित माप, मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप **Non Personalized Pre-printed PVC Card** की आपूर्ति करने के साथ-साथ, **फोटो स्कैन**, निर्धारित साफ्टवेयर से डाटाबेस में फोटो **Attach** और **Merge** का कार्य करने के पश्चात ही PVC Card प्रिन्टर से Personalized PVC EPIC प्रिन्ट करने का सम्पूर्ण कार्य करना होगा। पुनः स्पष्ट कर दें कि उक्त सम्पूर्ण कार्य प्रथम चरण में प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय में ही सम्पन्न किया जायेगा। लोक सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन के पश्चात द्वितीय चरण में उक्त कार्य प्रत्येक ERO Office / तहसील मुख्यालय में सम्पादित किए जाने की कार्ययोजना है।

16- निर्धारित मानक, माप, मात्रा और गुणवत्ता के साथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार/मतदेय स्थलवार प्रिन्ट किए गए समस्त PVC EPIC को अच्छी तरह से मतदेय स्थलवार रबरबैण्ड करते हुए वितरण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित वेण्डर का होगा। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि दिनांक 06 जनवरी, 2014 को निर्वाचक नामावलियों के अन्तिम प्रकाशन के समय ही सभी संबंधित मतदाताओं को उनके मतदाता फोटो पहचान पत्र भी वितरित किये जायेंगे।

17- जिला निर्वाचन कार्यालय भण्डार तक Non Personalized Pre-printed PVC Card की आपूर्ति, **फोटो स्कैन** और तदनुसार निर्धारित साफ्टवेयर में फोटो **Attach** और **Merge** का कार्य करने PVC Card प्रिन्टर से Personalized PVC EPIC प्रिन्ट करने हेतु अलग से कोई किराया-भाड़ा, लोडिंग/अनलोडिंग हेतु मजदूरी या अन्य कोई भी पारिश्रमिक देय नहीं होगा वित्तीय निविदा में उक्त सम्पूर्ण कार्य के लिए सभी करों सहित दर प्रस्तुत करनी होगी।

(M/A)

(सहायक सचिव)
प्रमुख वित्तीय एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

18- निविदा के साथ अपेक्षित धरोहर की धनराशि अपेक्षानुरूप प्रस्तुत न करने पर निविदा मान्य नहीं होगी। तकनीकी निविदा Annexure-1 के साथ सभी अपेक्षित प्रमाण पत्र रखे जायेंगे। वित्तीय निविदा पृथक लिफाफे पर होंगी तदनन्तर इन्हें एक लिफाफे में रखा जायेगा।


19- निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित निविदा-दाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख तकनीकी निविदाएं खोली जायेगी। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन एवं वर्गीकरण के उपरान्त अर्ह निविदा-दाताओं की सूची तैयार की जायेगी। तकनीकी निविदा में अर्ह पाये गये निविदा-दाताओं की ही यथा समय वित्तीय निविदाएं खोली जायेगी। अन्य अनर्ह पाए गए निविदा-दाताओं की वित्तीय निविदायें नहीं खोली जायेंगी।

20- नियमानुसार तकनीकी निविदा में अर्ह पाई गई फर्म आदि की वित्तीय निविदा को ही खोला जायेगा। वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात जिस फर्म आदि को न्यूनतम निविदा के आधार पर संबंधित जनपद/जनपदों के लिए एल0-1 की श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा ऐसी किसी भी फर्म आदि को उनके द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर के आधार पर आगणित धनराशि के **10 प्रतिशत की धनराशि** एकाउण्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट, कमर्शियल बैंक की फिक्स डिपोजिट, सावधि जमा रसीद या बैंक गारण्टी के द्वारा कार्यपूर्ति जमानत के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। फर्म आदि के लिखित अनुरोध पर उसकी निविदा धरोहर की धनराशि को जमानत की धनराशि में समाहित/प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। कदाचित जमानत की धनराशि, धरोहर की धनराशि से कम होने पर धरोहर की पूर्ण धनराशि को ही जमानत के रूप में समाहित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा इसके किसी भाग को वापस नहीं लौटाया जायेगा।

21- वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात निविदा समिति के द्वारा एल0-01 में वर्गीकृत फर्म आदि के द्वारा, कदाचित यदि उन्हें निविदा प्रक्रिया से बाहर करने का लिखित अनुरोध किया जाता है, या निर्धारित तिथि, समय तक अपेक्षित जमानत की धनराशि जमा नहीं की जाती है, या किसी भी प्रकार से निविदा प्रक्रिया से विमुख होने/सम्मिलित होने पर असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसी दशा में उसकी धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

22- निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर, एल0-01 में वर्गीकृत फर्म आदि द्वारा कार्यादेश निर्गत होने पर नियत तिथि तक अपेक्षित कार्य/आपूर्ति न करने पर संबंधित फर्म की जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और फर्म को नियमानुसार ब्लेक लिस्टेड करते हुए **Liquidated Damage** के रूप में उपरोक्त प्रस्तर-14.2 के अनुसार विभाग द्वारा दावा किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में विभाग फर्म आदि के विरुद्ध न्यायिक/दण्डात्मक कार्यवाही के लिए भी स्वतंत्र होगा।

23- Non Personalized Pre-printed PVC Card के ट्रॉसपोर्टेशन, लोडिंग-अनलोडिंग या अन्य किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा और इस हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा या क्षतिपूर्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। फर्म/कम्पनी/साझेदार अथवा व्यक्तिगत आदि उक्त के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।




(राज स्टाडी)
प्रमुख वित्तीय एवं
मुख्य निरीक्षण अधिकारी

24— नियमानुसार किसी भी फर्म/कम्पनी आदि की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात फर्म/कम्पनी आदि को ₹100.00 के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पर तत्काल अनुबन्ध करना होगा जिसकी विषय वस्तु से यथा समय अवगत करा दिया जायेगा।

25— मोहरबन्द निविदाएं ए4 साईज के एक लिफाफे में प्रस्तुत की जायेंगी, जिसके मुख्य आवरण के शीर्ष पर "Non Personalized Pre-printed PVC Card की आपूर्ति Personalized PVC EPIC प्रिन्ट करने हेतु निविदा" स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। इस मुख्य लिफाफे के अन्दर दो अलग-अलग मोहरबन्द लिफाफे होंगे जिनमें से एक लिफाफे पर "Non Personalized Pre-printed PVC Card की आपूर्ति Personalized PVC EPIC प्रिन्ट करने हेतु तकनीकी निविदा" एवं दूसरे लिफाफे पर पर "Non Personalized Pre-printed PVC Card की आपूर्ति Personalized PVC EPIC प्रिन्ट करने हेतु वित्तीय निविदा" स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

26— तकनीकी निविदा सम्बन्धी लिफाफे के अन्दर निम्नलिखित अभिलेखों आदि की प्रमाणित छाया प्रति जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म/कम्पनी की मुहर भी लगी हो तथा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए हों Annexure-1 पर सारांश सहित रखी होनी चाहिए:—

1—व्यापार कर/आयकर/सेवाकर विभाग में रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी अभिलेख

2—पैन कार्ड

3—मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी एवं आपूर्ति से संबंधित कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।

4—अपेक्षित वित्तीय वर्षों की टर्नओवर से संबंधित सी0ए0द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंसशीट की प्रमाणित छाया प्रति।

5—ब्लेक लिस्टेड न होने का नोटरी के समक्ष तैयार शपथ-पत्र मूल में

6—विगत तीन वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में ₹ 5.00 लाख तक के एकमुश्त कार्यादेश की प्रति/सन्तोषजनक कार्य करने के पश्चात भुगतान सम्बन्धी वांछित अभिलेख।


7—किसी भी प्रकार के कर जो भी देय हों, का बकायादार/देनदार नहीं होने, वित्तीय वर्ष-2011-12 तक जमा आयकर रिटर्न से संबंधित रसीद/अभिलेख।

8—धरोहर की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट आदि मूल रूप में।

9—निविदा हेतु निर्धारित नियम/शर्तों के इस अभिलेख की प्रमाणित छाया प्रति जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म/कम्पनी आदि की मुहर सहित अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए हों।

10—अन्य अभिलेख यदि कोई हों, फर्म/कम्पनी की मुहर सहित अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर सहित।

11— उत्तराखण्ड राज्य में कार्यालय/कार्यशाला का विवरण एवं पूरा पता।




(राधा क्यूडी)
प्रमुख अधिकारी एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

27— वित्तीय निविदा सम्बन्धी लिफाफे के अन्दर केवल Annexure-2 जिस पर "Non Personalized Pre-printed PVC Card की आपूर्ति Personalized PVC EPIC प्रिन्ट करने हेतु, फोटो स्कैन कर निर्धारित साफ्टवेयर से डाटाबेस में Attach और Merge करने हेतु दरें अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखी गई हो रखी होनी चाहिए। इसी प्रकार जनपद/जनपदों का नाम भी वित्तीय निविदा में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, जिसके/जिनके लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है। अन्य कोई भी सामग्री/अभिलेख वित्तीय निविदा सम्बन्धी लिफाफे के अन्दर न रखी जायं। वित्तीय निविदा में प्रस्तुत दर में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के टैक्स (Price including all taxes /गन्तव्य तक परिवहन, लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित) सम्मिलित होंगे।

28— कार्यापूर्ति आदेश के पश्चात फर्म/कम्पनी के द्वारा आपूर्ति किए गए Non Personalized Pre-printed PVC Card एवं Personalized PVC EPIC प्रिन्टिंग की सक्षम तकनीकी विभाग/ कार्यालय/प्रयोगशाला से जाँच करवाई जा सकती है तथा जाँचोपरान्त गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित देयकों का न तो भुगतान किया जायेगा और न ही कोई दावा स्वीकार किया जायेगा साथ ही जमानत की धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी जिसके लिए संबंधित फर्म आदि स्वयं उत्तरदायी होगी। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार दण्डनीय कार्यवाही करते हुए प्रस्तर-14.2 एवं प्रस्तर-22 के अनुसार क्षतिपूर्ति का दावा भी किया जा सकेगा।


29— निविदा शर्तों के अधीन सन्तोषजनक ढंग से आपूर्ति किए जाने के फलस्वरूप विभाग का समाधान हो जाने के पश्चात ही आपूर्तिकर्ता फर्म/कम्पनी आदि को एक माह पश्चात अथवा निविदा की वैधता समाप्ति के पश्चात प्रमुख सचिव एवं मु0नि0अ0 अधिकारी के निर्देशानुसार ही उनकी जमानत की धनराशि लौटाए जाने पर विचार किया जायेगा।


30— देयक की कुल धनराशि के सापेक्ष विभाग द्वारा नियमानुसार आयकर/टी0डी0एस0 आदि की कटौती की जायेगी। भुगतान की सम्पूर्ण कार्यवाही जिला निर्वाचन कार्यालयों द्वारा ही की जायेगी।

31— सामान्यतः धरोहर धनराशि की वैधता निविदा की अन्तिम वैध अवधि के पश्चात 45 दिन होगी परन्तु इस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

32— कोई भी निविदा-दाता किसी भी एक जनपद के लिए, एक से अधिक जनपद के लिए अथवा राज्य के सभी 13 जनपदों के लिए निविदा प्रस्तुत कर सकता है। अन्तिम रूप से तकनीकी अर्हता प्राप्त जिस फर्म की दरें जिस जनपद/जनपदों के लिए निविदा समिति के द्वारा एल-01 में वर्गीकृत की जाती है, संबंधित जनपद/जनपदों का कार्य उसी फर्म को आवंटित किया जायेगा।

33— तकनीकी निविदा के साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित माप, मानक एवं गुणवत्ता के साथ कम से कम 05 (पाँच) Non Personalized Pre-printed PVC Card के नमूने प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त Non Personalized Pre-printed




(सचिव स्थानी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

PVC Card का नमूना निविदा प्रकाशन की तिथि से 29 नवम्बर, 2013 तक किसी भी कार्यदिवस व कार्यालय समय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून में देखा जा सकता है। कार्यादेश निर्गत होने से पूर्व सफल निविदा-दाता को निविदा समिति द्वारा चयनित नमूने के अनुरूप PVC Card के 5-5 नमूने प्रति जनपद के हिसाब से मुख्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।


34- निविदा-दाता फर्म आदि के द्वारा जिस फर्म के नाम पर निविदा फार्म क्रय किया गया है, उसी फर्म आदि के नाम से सभी तकनीकी अभिलेख (तकनीकी निविदा में जो भी अपेक्षित हैं) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। इण्टरनेट से डाउनलोड करने पर भी उपरोक्त स्थिति लागू होगी। अर्थात् फर्म द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत सभी अभिलेख एक ही फर्म के नाम से होने अनिवार्य हैं।

35- निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी के लिए निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 29 नवम्बर, 2013 तक किसी भी कार्यदिवस और कार्यालय समयान्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून में व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या 0135-2713551 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

36- निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर नियमानुसार एल-01 में वर्गीकृत सफल निविदा-दाता को कार्यादेश निर्गत करने की तिथि से निविदा की वैधता एक वर्ष की होगी किन्तु आवश्यकता पड़ने पर निविदा की वैधता तीन वर्ष के लिए विस्तारित कि जा सकती है।

37- किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का प्रमुख सचिव एवं मु0नि0अ0 के पास सर्वाधिकार सुरक्षित होगा। उक्त के संदर्भ में सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा। सशर्त कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा के सम्बन्ध में न्यायाधिकार क्षेत्र देहरादून मुख्यालय होगा। आवश्यकता पड़ने पर निविदा की नियम/शर्तों में संशोधन/परिवर्तन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा।

दिनांक: 12 नवम्बर, 2013

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।


Annexure-1


Pre-printed Non Personalized PVC Cards की आपूर्ति और Printing of elector details on PVC cards आदि कार्य हेतु तकनीकी निविदा की अर्हता का सारांश प्रपत्र

- 1- फर्म का नाम:-
- 2- फर्म का पता (टेलीफोन नम्बर/ई मेल पता सहित):-
- 3- फर्म का स्वरूप (एकल स्वयं/साझेदारी, यदि साझेदारी हो तो साझेदारी के पत्रजात):-
- 4- व्यापार कर पंजीकरण संख्या:-
- 5- आयकर पंजीकरण पैन नम्बर:-
- 5क- सेवाकर पंजीकरण संख्या:-
- 6- मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी एवं आपूर्ति से संबंधित कार्य करने के अनुभव का विवरण:-
- 7- विगत तीन वर्षों का टर्नओवर

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष-2010-11	वित्तीय वर्ष-2011-12	वित्तीय वर्ष-2012-13
1.	मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी एवं आपूर्ति से संबंधित कार्य।			

- 8- ब्लेक लिस्टेड/फर्म के विरुद्ध कोई शासकीय कार्यवाही होने की घोषणा:-
- 9- किसी भी शासकीय देयता की बकाया न होने तथा वर्ष-2011-12 तक जमा आयकर रिटर्न का विवरण:-
- 10- धरोहर की जमा राशि का विवरण:-
- 11- उत्तराखण्ड राज्य में कार्यालय/कार्याशाला का विवरण:-
- 12- अन्य:-

संलग्नकों की संख्या:-




(सामग्री)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निवाहन अधिकारी

निविदा-दाता की घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि, Pre-printed Non Personalized PVC Cards की आपूर्ति तथा Printing of elector details on PVC cards. फोटो स्कैन, निर्धारित साफ्टवेयर के माध्यम से डाटाबेस में फोटो Attach कर Merge आदि से संबंधित निर्वाचन विभाग द्वारा निविदा के लिए निर्धारित प्रस्तर-1 से 37 तक में उल्लिखित नियम/शर्तों को भली-भाँति से पढ़ व समझ लिया गया है और तत्पश्चात ही निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग किया जा रहा है। निविदा के लिए विभाग द्वारा नियत उपरोक्त नियम एवं शर्तें स्वीकार करते हुए यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निविदा की नियम/शर्तों का किसी भी प्रकार से अनुपालन न करने या उल्लंघन करने के लिए फर्म/कम्पनी आदि उत्तरदायी होगी।

फर्म की मुहर यहां
पर लगाई जाय।



हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पूरा पता.....

.....

पैन/टैन नं०.....

फोन/फैक्स नं०.....

मोबा०नं०.....


(रा.प.सू.डी.)
प्रमुख निविदा एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Annexure-2

Procurement of Non Personalized Pre-printed PVC Card and Printing of elector details on PVC Cards आदि कार्य हेतु वित्तीय निविदा का फार्म

क्रं. सं.	विवरण	*जनपद / जनपदों का पूरा नाम (स्पष्ट पठनीय अक्षरों में) जिसके / जिनके लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है।	दर प्रति PVC Cards	
			अंकी में	शब्दों में
1-	भारत निर्वाचन द्वारा निर्धारित माप, मानक एवं गुणवत्ता के अनुसार Non Personalized Pre-printed PVC Card की आपूर्ति, फोटो स्कैन और तदनुसार निर्धारित साफ्टवेयर में फोटो Attach और Merge का कार्य करने एवं PVC Card प्रिन्टर से Personalized PVC EPIC प्रिन्ट करने हेतु दरें (समस्त करों सहित, भुगतान की जाने वाली शुद्ध धनराशि)			

1-फर्म /कम्पनी आदि के प्रबन्धक/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर-

2-फर्म /कम्पनी आदि के प्रबन्धक/अधिकृत प्रतिनिधि का पूरा नाम:-

3-फर्म /कम्पनी आदि का पूरा पता:-

4-फर्म /कम्पनी आदि का व्यापारकर रजिस्ट्रेशन नम्बर-

5-फर्म /कम्पनी आदि का आयकर रजिस्ट्रेशन/पैन नम्बर-

5क-सेवाकर पंजीकरण संख्या:-

6-फर्म /कम्पनी आदि का टेलीफोन नम्बर / मो0नम्बर-

7-फर्म /कम्पनी आदि के कार्यालय/कार्यशाला आदि का स्थानीय पता-
फोन नम्बर आदि-

कृपया फर्म /कम्पनी आदि की मोहर यहाँ लगायी जाय

*उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चम्पावत, नैनीताल, एवं ऊधमसिंह नगर।

(रक्षित)
प्रमुख अधिकारी एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त Non Personalized Pre-printed PVC Card का नमूना।

 <p>भारत निर्वाचन आयोग ELECTION COMMISSION OF INDIA मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD</p> <p>GDNO000000</p> <p>नाम : NAME : पिता का नाम : FATHER'S NAME :</p>	<p>लिंग / Sex : जन्म की तारीख / आयु : Date of Birth / Age : पता : Address :</p> <p>निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्कैन हस्ताक्षर Scanned Signature of Electoral Registration Officer</p> <p>सारीख : Date :</p> <p>विधान सभा क्षेत्र संख्या और नाम : Assembly Constituency No. & Name :</p> <p>नोट / Note :</p> <p>1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। कृपया अपना नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जांच लें। More possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.</p> <p>2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा। Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.</p>
---	--

mlas

He
(सधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी